रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 285] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 3, 1985/आषाढ़ 12, 1907
No. 285] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 3, 1985/ASADHA 12, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1985

सं. 216/85/-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 547(अ):— केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, 10 टन से अधिक क्षमता वाले फ़ोर्कलिफ्ट ट्रकों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित संघटकों को, तब जब भारत में उनका आयात किया जाए, सीमा-शुल्क टेरिफ़ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, जो मूल्यानुसार 40 प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है, अर्थात् :—

(i) इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट केवल ऐसे फ़ोर्कलिफ्ट ट्रकों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित संघटकों को लागू होगी जो तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार या अपर औद्योगिक सलाहकार तथा भारी उद्योग विभाग के औद्योगिक सलाहकार दोनों के द्वारा प्रमाणित सूची के अंतर्गत सम्मिलित है;

(ii) आयातकर्ता सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर के समक्ष उक्त संघटकों की निकासी के समय यह साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि उसके पास भारी उद्योग विभाग और तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा ऐसे फ़ोर्कलिफ्ट ट्रकों के निर्माण के लिए सम्यक् रूप से अनुमोदित कार्यक्रम हैं; और

(iii) आयातकर्ता, उतनी अवधि के भीतर, जो सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार या अपर औद्योगिक सलाहकार का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि आयातित संघटकों का उपयोग वास्तव में ऐसे फ़ोर्कलिफ्ट ट्रकों के विनिर्माण के लिए ही किया गया है ।

2. यह अधिसूचना 30 जून, 1986, तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी ।

[फ़ा० सं. 355/64/84 – सी. शु. I]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 3rd July, 1985

NO. 216/85-CUSTOMS

G.S.R. 547(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest to do, hereby exempts components required for the manufacture of forklift trucks having a capacity exceeding 10 tonnes, when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs, Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of the amount calculated at the rate of 40 per cent advalorem, subject to the following conditions, namely :—

(i) the exemption contained herein shall be applicable only to those components required for the manufacture of such forklift trucks, which are covered by lists certified by both the Industrial Adviser or the Additional Industrial Adviser of the Directorate General of Technical Development and the Industrial Adviser in the Department of Heavy Industry;

(ii) the importer shall produce evidence to the Assistant Collector of Customs at the time of clearance of the said components to the effect that they have a programme duly approved by the Department of Heavy Industry and the Directorate General of Technical Development for the manufacture of such forklift trucks; and

(iii) the importer shall, within such period as the Assistant Collector of Customs may specify in this behalf, produce a certificate from the Industrial Adviser or the Additional Industrial Adviser of the Directorate General of Technical Development to the effect that the imported components have been actually used in the manufacture of such forklift trucks.

2. This notification shall be inforce upto and inclusive of the 30th day of June, 1986.

[F. No. 355/64/84-Cus.I]

सं. 217/85–सीमाशुल्क

सा.का.नि. 548(अ) :—केन्द्रीय सरकार वित्त अधिनियम, 1985 (1985 का 32) की धारा 43 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1062 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 163/85-सीमा-शुल्क तारीख 24 मई, 1985, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं. 40 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात् :—

"41 सं० 216/85 सीमा-शुल्क तारीख 3 जुलाई, 1985" ।

[फ़ा. सं. 355/64/84-सी. शु. I]

एम. एन. विश्वास, अवर सचिव

No. 217/85-CUSTOMS

G.S.R. 548 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 43 of the Finance Act, 1985 (32 of 1985), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 163/85-Custmos, dated the 24th May, 1985, namely :—

In the Schedule to the said notification, after Sl. No. 40 and the entry relating thereto, the following Sl. No. and entry shall be inserted, namely :—

"41. 216/85-Customs. dated the 3rd July, 1985".

[F. No. 355/64/84-Cus.I]

M. N. BISWAS, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064